संख्या-1335/14-4-2014-836/1992 टीसी

प्रेषक,

वी0एन0 गर्ग,
प्रमुख सचिव, वन,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
वन्य जीव,
उ0प्र0, लखनऊ।

वन अनुभाग-4 **लखनऊ, दिनांक, 01 अक्टूबर, 2014**

विषय- वन्य जीवों से जान-माल की हानि की दशा में देय आर्थिक अनुग्रह सहायता की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-668/14-4-2010-836/92 दिनांक 23 मार्च, 2010 संशोधित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत मामले में सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल तात्कालिक प्रभाव से वन्य पशुओं द्वारा मारे गये या घायल किये गये व्यक्तियों को या उनके वारिशों को तथा वन्य पशुओं द्वारा ग्रामवासियों के पालतू पशुओं को मारे जाने पर एवं जंगली हाथियों व गैडां द्वारा ग्रामवासियों के मकान व फसल को नुकसान पहुॅचाये जाने की दशा में उनको या उनके आाश्रितों को निम्न प्रकार से अनुग्रह (एक्सग्रेसिया) आर्थिक सहायता प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- **<u>वन्य पशुओं द्वारा मारे गये व्यक्तियों के वारिसों को अनुग्रह आर्थिक सहायता:-</u>**
जंगली शेर, तेंदुआ, भालू, लकड़बग्घा, भेडिया, हाथी, गैडा, मगर एवं घडियाल द्वारा व्यक्तियों के मृत या घायल होने पर देय आर्थिक सहायता।)

1- वयस्क की मृत्यु होने पर	रू0	5,00,000.00
2- अवस्यक की मृत्यु होने पर	रू0	5,00,000.00
3- पूर्ण रूप से अपंग (इन्वेलिड) होने पर	रू0	4,00,000.00
4- आंशिक रूप से अपंग (विकलांग) होने पर	रू0	1,00,000.00
5- गंभीर रूप से घायल होने पर	रू0	1,00,000.00

उक्त अनुग्रह सहायता की धनराशि का भुगतान निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) वन विभाग के उप वन संरक्षक अथवा उच्चतर स्तर के अधिष्ठान संबंधित व्यक्ति के उक्त वन्य पशुओं द्वारा मारे जाने/अपंग/घायल किये जाने की पुष्टि किया जाय एवं राजकीय चिकित्सक द्वारा इस संबंध में प्रमाण-पत्र दिया जाय। गंभीर रूप से घायल होने

की दशा में कोई व्यक्ति सरकारी राजकीय चिकित्सालय के अतिरिक्त निजी चिकित्सालय में इलाज कराता है, तो इस संबंध में निजी चिकित्सक द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र उस दशा में मान्य होगा, जब वह जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

(2) संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी/उप वन संरक्षक को अधिकार होगा कि वे किसी व्यक्ति की मृत्यु उपरोक्त वन्य पशुओं के द्वारा होने पर अंत्येष्ठि आदि क्रिया के लिए व उसके परिवार स्वजन को रू0 10,000.00 (रू0 दस हजार मात्र) की धनराशि का भुगतान तत्काल करेंगे जो बाद में स्वीकृत अनुग्रह सहायता से कटौती कर ली जायेगी।

(3) अनुग्रह सहायता की धनराशि स्वीकृत करने हेतु अंतिम जांच रिपोर्ट मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) को प्रस्तुत की जायेगी, जो ऐसे मामले में निर्णय लेने हेतु सक्षम अधिकारी होंगे।

(4) मृत व्यक्ति के परिवार के ऐसे सदस्य को अनुग्रह राशि का भुगतान अनुमन्य होगा जो दैवीय आपदा की स्थिति में मृत्यु होने की दशा में आपदा राहत निधि/राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हों तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र संबंधित तहसीलदार से प्राप्त कर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

2- **पालतू पशुओं के मारे जाने पर देय अनुग्रह आर्थिक सहायता:- (जंगली शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा, गुलदार व भेड़िया द्वारा ग्रामवासियों के पालतू पशुओं को मार दिये जाने पर देय अनुग्रह धनराशि)**

क्र0सं	पशु	धनराशि (रू0में)
1-	गाय	15,000.00
2-	घोड़ा	40,000.00
3-	खच्चर	40,000.00
4-	ऊँट	10,000.00
5-	बैल (तीन वर्ष से अधिक आयु)	15,000.00
6-	भैंस (तीन वर्ष से अधिक आयु)	15,000.00
7-	**गाय का बछड़ा/बछिया तथा भैंस का पड़वा/पड़िया**	
(क)	दो वर्ष से ऊपर तथा तीन वर्ष से कम	8,000.00
(ख)	एक वर्ष से दो वर्ष की आयु तक	5,000.00
(ग)	एक वर्ष से कम आयु तक	5,00.00
8-	गधा	5,000.00
9-	बकरी/भेड जिसकी आयु एक वर्ष या उससे अधिक (एक वर्ष से कम आयु के लिए कुछ अनुमन्य नहीं)	3,000.00

उक्त अनुग्रह सहायता निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत अनुमन्य होगी :-

(1) किसी राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव विहार में उपरोक्त पालतू पशुओं के जंगली शेर (बाघ)/गुलदार द्वारा मारे जाने की दशा में अनुग्रह आर्थिक सहायता तभी देय होगी जब प्रश्नगत पालतू पशुओं को प्रवेश की अनुज्ञा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम-1972 के प्राविधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा दी गयी हो।

(2) मवेशी के मारे जाने की सूचना दो दिन के अन्दर निकटतम रेंज आफिस में मवेशी के स्वामी द्वारा दी गयी हो।

(3) यदि मवेशी गोशाला या पशुशाला के अन्यत्र मारा गया हो तो उसके स्वामी या चरवाहे मृत मवेशी के साथ होने की दशा में अनुग्रह सहायता देय होगा।

(4) मारे गये मवेशी की लाश को घटना स्थल से तब तक हटाया न जाय जब तक घटना की जांच स्थानीय वनाधिकारी द्वारा नहीं हो जाती है तथा उसमें लाश में किसी प्रकार का विष अथवा कीटनाशक पदार्थ नहीं मिल गया हो।

(5) घटना की सूचना, घटना के 24 घंटे के अन्दर निकटतम वनाधिकारी जो वनविद् सहायक वन्य जन्तु प्रतिपालक से कम स्तर का न हो, दी जानी चाहिए तथा स्थानीय वनाधिकारी को सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुँच कर जांच कर लेनी चाहिए, जिसमें यथासंभव क्षेत्र के किसी सम्मानित व्यक्ति को सम्बद्ध किया जाना चाहिए और गांव के प्रधान जहां हो उससे भी मवेशी की आयु, नस्ल आदि के संबंध में प्रमाणित करा लेना चाहिए। जांच रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र क्षेत्र से संबंधित वन्य जन्तु प्रतिपालक/प्रभागीय वनाधिकारी को भेज देनी चाहिए।

(6) घटना की अन्तिम जांच उक्त क्षेत्र के वन्य जन्तु प्रतिपालक/सहायक वन संरक्षक द्वारा की जानी चाहिए।

(7) जांच के बाद मुआवजे संबंधी संस्तुति उक्त क्षेत्र के उप वन संरक्षक द्वारा मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) को की जानी चाहिए जो ऐसे मामलों में निर्णय लेने/स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।

3- **<u>जंगली हाथियों एंव गैण्डा के द्वारा ग्रामीणों के कृषि फसलों तथा मकान को क्षति पहुँचाये जाने की दशा में देय आर्थिक सहायता :-</u>**

(अ) कृषि फसल की क्षति प्रति एकड़

(क)	गन्ना (सम्पूर्ण फसल क्षतिग्रस्त)	गन्ना विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य
(ख)	धान/गेहूँ/तिलहन (सम्पूर्ण फसल क्षतिग्रस्त)	कृषि विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य
(ग)	उपरोक्त को छोड़कर (सम्पूर्ण फसल क्षतिग्रस्त) सभी फसलों के क्षतिग्रस्त होने पर	कृषि विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य

<u>ब- मकान की क्षति</u>

(क) कच्चा मकान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त होने पर	रू0	25,000.00
(ख) कच्चा मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर	रू0	20,000.00
(ग) झोपड़ी टट्टर से निर्मित आवास क्षतिग्रस्त होने पर	रू0	5,000.00

उक्त अनुग्रह सहायता का भुगतान निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा:-

(1) घटना की सूचना घटना के 24 घंटे के अन्दर निकटतम वनाधिकारी, जो वनविद या सहायक वन्य जन्तु प्रतिपालक से कम स्तर का न हो, को दी जानी चाहिए तथा स्थानीय वनाधिकारी को सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुँच का जांच कर लेनी चाहिए जिसमें यथा संभव क्षेत्र के ग्राम प्रधान या किसी सम्मानित व्यक्ति को भी सम्बद्ध किया जाना चाहिए। जांच रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र स्थानीय वन्य जन्तु प्रतिपालक/प्रभागीय वनाधिकारी को भेज देनी चाहिए।

(2) कृषि फसलों की आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की दशा में हानि का प्रतिशत आंकलन कर सम्पूर्ण क्षति हेतु उपरोक्त निर्धारित धनराशि के उतने ही प्रतिशत दर से आर्थिक अनुग्रह सहायता देय होगी।

उदाहराणार्थ-यदि किसी क्षेत्र में गहूँ के खेत में 1/4 एकड़ में सम्पूर्ण फसल एवं 1/2 एकड़ में 40 प्रतिशत फसल क्षतिग्रस्त हुई है तो उस दशा में (1/4 x रू0 न्यूनतम समर्थन मूल्य+1/2 x रू0 न्यूनतम समर्थन मूल्य x 0.4) अर्थात रू0 625.00+ रू0 500= रू0 1125= 00 की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

(3) घटना की अन्तिम जांच उक्त क्षेत्र के वन्य जन्तु प्रतिपालक/सहायक वन संरक्षक द्वारा की जानी चाहिए।

(4) जांच के बाद मुआवजे संबंधी संस्तुति उक्त क्षेत्र के उप वन संरक्षक द्वारा मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) को की जानी चाहिए जो ऐसे मामलों में निर्णय लेने/ स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।

(5) शासनादेश दिनांक 6-12-1996 में व्यवस्थित मुआवजे दिये जाने की प्रक्रिया यथावत रहेगी, परन्तु विशेष परिस्थिति में वन्य पशुओं द्वारा मारे गये व्यक्तियों के वारिशों को अनुग्रह आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

ऐसी परिस्थिति जिसमें पोस्ट मार्टम रिपोर्ट प्राप्त करना संभव नहीं होता है, क्योंकि हिंसक वन्य प्राणि द्वारा मनुष्य /बच्चे को मारकर शव के अधिकतर भाग को खा लिया जाता है, एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा घटना की संयुक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जायेगा। उच्च स्तरीय समिति में निम्न सदस्य होंगे :-

(क) संबंधित परगना मजिस्ट्रेट।
(ख) संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, समन्वयक।
(ग) संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी।

उपरोक्त समिति द्वारा निम्नानुसार पुष्टि होने के बाद ही अनुग्रह सहायता के लिए संयुक्त रिपोर्ट प्रभागीय वनाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा :-

(1) समिति द्वारा प्रत्यक्षदर्शी के द्वारा घटना की पुष्टि में बयान लिपिबद्ध करना होगा। प्रत्यक्षदर्शी न होने की दशा में अन्य उपलब्ध पारिस्थितिक प्रमाणों का परीक्षण कर पुष्टि किया जायेगा।

(2) मृत्यु के संबंध में विधिक रूप से यदि पुलिस/मजिस्ट्रेटियल जांच रिपोर्ट उपलब्ध है, का परीक्षण समिति द्वारा करते हुए यह पुष्टि की जायेगी कि उन रिपोर्ट में कोई ऐसी बात नहीं है जिससे प्रश्नगत वन्य जीव द्वारा मार कर खा जाने की बात संदेहास्पद होती है।

(3) उपरोक्त समस्त मामलों में हानि की दशा में मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) /फील्ड डायरेक्टर, दुधवा टाईगर रिजर्व को मुआवजा दिये जाने हेतु निर्णय लेने/स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी होंगे।

(4) मुआवजे की धनराशि मृतक आश्रित को एक माह के अंदर भुगतान कर दिया जायेगा।

(5) "जंगली शेर" के स्थान पर " जंगली बाघ" (Tiger) यथास्थान प्रतिस्थापित किया जाय।

6- उपरोक्त समस्त आर्थिक अनुग्रह सहायता पर व्यय अनुदान सं0-60 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-आयोजनेत्तर-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-04-हिंसक वन्य पशुओं द्वारा मारे/घायल किये गये व्यक्तियों एवं मवेशियों के मालिकों को मुआवजे का भुगतान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/ राज्य सहायता के नाम में डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-7-1200/दस दिनांक 30 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(वी0एन0 गर्ग)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1335(1) /14-4-2014-836/1992 टीसी तदद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि संबंधित वनाधिकारी शासन को उपरोक्त आदेशों से संबंधित ग्रामवासियों को अवगत करा दें।

1- प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ।
2- महालेखाकार, (द्वितीय) उ0प्र0, प्रेम बाजार, निशातगंज, लखनऊ।
3- महालेखाकार, (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- समस्त प्रमुख वन संरक्षक/अपर प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0।
5- समस्त मुख्य वन संरक्षक/उ0प्र0
6- फील्ड डायरेक्टर, प्रोजेक्ट टाइगर दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी, उ0प्र0।
7- समस्त वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, उ0प्र0।
8- समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
9- समस्त उप वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8
11- वन अनुभाग-1,2,3 तथा 5
12- गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(प्रतिभा सिंह)
विशेष सचिव।